

2013/000004

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर कैम्प कोर्ट, गुड़ामालानी

पीठासीन अधिकारी—श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 22/2013

अपीलांट्स

बनाम

रेस्पोंडेंट्स

1. किस्तुरा पुत्र अर्जुन
2. भगा पुत्र अर्जुन
3. हरा पुत्र अर्जुन
4. मूला गोद पुत्र बगताराम
अपीलांट सं. 4 नाबालिग
जरिये कुदरती वली पिता
टीकुराम
5. पेमाराम पुत्र वाला
6. कानाराम पुत्र बाला
जाट निवासी सियोलो की
बेरी बाण्ड, तहसील
गुड़ामालानी

1. तहसीलदार, गुड़ामालानी
2. हुकमाराम पुत्र सिमरथाराम
जाति जाट निवासी सियोलो की
बेरी बाण्ड तहसील गुड़ामालानी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरुद्ध आदेश दिनांक 06.06.2012 द्वारा तहसीलदार, गुड़ामालानी

- उपस्थित:— 1. अपीलांट्स एवं अधिवक्ता उपस्थित।
2. श्री जोधसिंह तहसीलदार, गुड़ामालानी रेस्पोंडेंट सं. 01
की ओर से।
3. रेस्पोंडेंट 02 उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 30.05.2016

1. संक्षेप में अपीलांट्स की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट्स एवं रेस्पोंडेंट संख्या 02 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 576 रकबा 0.08 बीघा गैर मुमकिन, खसरा नम्बर 577 रकबा 58 बीघा 09 विस्वा व खसरा नम्बर 601 रकबा 114 बीघा 05 बिस्वा मौजा सियोलो की बेरी में आये हुए है। अपीलांट्स ने खेत खसरा नम्बर 601 में अपने हिस्से की भूमि में से 0.005 बीघा भूमि का राज्य सरकार के पक्ष में सर्म्पण पत्र पेश किया। इस पर तहसीलदार गुड़ामालानी ने बाद जॉच अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.06.2012 द्वारा अपीलांट्स का सर्म्पण आवेदन पत्र स्वीकार किया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांट्स ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी तिथि से अपील को अंदर मियाद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांट्स ने


जिला कलक्टर

बाड़मेर

अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किया गया।

2. हमने अपील अपीलांट्स दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोंडेंट्स को सम्मन जारी किया एवं अपीलाधीन रिकॉर्ड तलब किया।
3. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व कैम्प कोर्ट गुड़ामालानी में प्रस्तुत हुई, जिसके लिये उभय पक्ष के अभिभाषकगण व पक्षकारों को नोटिस की तामील करा दी गई थी। अपीलांट्स एवं इनके अधिवक्ता उपस्थित रहे। रेस्पोंडेंट्स संख्या 01 की ओर से तहसीलदार गुड़ामालानी उपस्थित रहे। रेस्पोंडेंट संख्या 02 उपस्थित रहा। इनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे।
4. हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट्स एवं रेस्पोंडेंट संख्या 02 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 576 रकबा 0.08 बीघा गैर मुमकिन, खसरा नम्बर 577 रकबा 58 बीघा 09 विस्वा व खसरा नम्बर 601 रकबा 114 बीघा 05 बिस्वा मौजा सियोलो की बेरी में आये हुए है। अपीलांट्स का यह कथन कि जिस सर्म्पण पत्र में अपीलांट्स ने खसरा नम्बर 601 में अपने हिस्से की भूमि में से 0.05 बीघा भूमि बाबत सर्म्पण पत्र पेश किया। इस इसमें रेस्पोंडेंट संख्या 02 का नाम सर्म्पण पत्र के आवेदन पत्र में लिख गया जो गलत है और अपीलांट्स ने अपने खेत बंटवाड़े अनुसार दक्षिण पश्चिम हिस्सा पर टांका निर्माण हेतु जमीन भूमि सर्म्पण की थी मगर इसकी तरमीम इस स्थान पर नहीं कर गलत स्थान पर की गई। पत्रावली पर उपलब्ध अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से अपीलांट्स द्वारा मौजा सियोलो की बेरी के खसरा नम्बर 601 रकबा 0.05 बीघा भूमि राज्य सरकार के पक्ष में सर्म्पण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में रेस्पोंडेंट हुकमाराम का हस्ताक्षर/अंगुष्ठा निशान नहीं है। अपीलांट्स द्वारा सर्म्पण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं नक्शा में खसरा नम्बर 601 में जिस स्थान पर सर्म्पण पत्र पेश किया है उसमें तरमीम सही नहीं होने से बिवाद की स्थिति बनी हुई है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, गुड़ामालानी ने सर्म्पण पत्र स्वीकार करने से पूर्व मौके की स्थिति की सही जाँच नहीं की। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट्स ने अपील के साथ देरी से प्रस्तुत करने बाबत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पेश किया, जो अपील के तथ्यों को देखते हुए स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।




जिला कलकटर
बाडमेर

5. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांट्स की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.06.2012 को अपास्त किया जाता है और मामला तहसीलदार गुड़ामालानी को इस निर्देश के साथ प्रति-प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट्स द्वारा सर्म्पण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र, नक्शा एवं मौके की स्थिति की सही जाँच कर जहाँ पर सर्म्पण किया गया है, उसके मुताबिक नियमानुसार पुनः उचित आदेश पारित करें।



आदेश खुले न्यायालय कैम्प गुड़ामालानी में आज दिनांक 30.05.2016 को सुनाया गया।

(Signature)

(सुधीर कुमारी शर्मा)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर

बाड़मेर

(Signature)

जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर